निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या 146/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

उमाशंकर पुत्र रामनाथ जाति ब्राह्मण निवासी बहलोड तहसील आंधी हाल निवासी 15 भैरू विहार, राजा मैरिज गार्डन के सामने, बी एल पब्लिक स्कूल का रास्ता, सुपर बाजार, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1 पीठासीन अधिकारी सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ जिला जयपुर ग्रामीण।

2 ओम प्रकाश जोशी पुत्र स्व. श्री हजहारी लाल पौत्र रिछपाल उर्फ सूरजपाल जाति ब्राह्मण्ध निवासी ग्राम बहलोड, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण।

3 बनवारी लाल पुत्र रामनाथ जाति ब्रह्मण निवासी ग्राम बहलोड, तहसील जमवारामगढ,

4 मदन लाल पुत्र रामनाथ जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बहलोड, तहसील जमवारामगढ,

5 बिरदू पुत्र रामलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भोपा की ढाणी, बहलोड, तहसील जमवारामगढ,

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व न्यायालय सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 176/2022 ब उनवानी ओम प्रकाश बनाम उमाशंकर व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री विष्णु डांगरवाडा शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री नेमीचन्द्र जलवानिया अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2, की ओर से ।

निर्णय **दिनांक 29.08.2024**

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 176/2022 ब उनवानी ओम प्रकाश बनाम उमाशंकर व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी। संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री नेमीचन्द्र जलवानिया ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई ।

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 पर अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा अपनी राजनैतिक पहुंच का फायदा उठाते हुये दबाव बनाते है कि उक्त प्रकरण का निस्तारण अति शीघ्र कराने पर आमदा है। अप्रार्थी संख्या 1 भी अप्रार्थी संख्या 2 के प्रभाव में आकर उक्त प्रकरण का निस्तारण अप्रार्थी संख्या 2 के अनुसार करने को आमादा है। उक्त पत्रावली मे डे बाई डे की तारीख पेशी दी जाती है तथा प्रार्थी द्वारा कई बार अप्रार्थी संख्या 1 को सूचित करने पर भी उक्त पत्रावली में आपके आदेश दिनांक 26.12.2022 के विरूद्ध निगरानी माननीय न्यायालय राजस्व में प्रस्तुत है, इसके बावजूद भी उक्त पत्रावली डे बाई डे अप्रार्थी द्वारा सुनी जा रही है । प्रार्थी को सदोष हानि पहुंचाने पर अप्रार्थी संख्या 1 आमादा है क्यों कि उक्त पत्रावली का फैसला अप्रार्थी संख्या 2 के अनुसार ही करना चाहता है। दिनांक 23.07.2024 को अप्रार्थी संख्या 2 भू माफियों के साथ उक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 के चैम्बर में बैठ कर चर्चा करता देखा गया और अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 2 को यह कह रहे थे कि आपके अनुसार उक्त प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावेगा जिससे आप दिगर व्यक्ति को उक्त भूमियों का बेचान कर सकोगे । इससे प्रार्थी को अन्देशा है कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी को किसी प्रकार का न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए उक्त प्रकरण को न्यायहित में अन्य राजस्व न्यायालय के यहां मुन्तकिल किया जाना आवयश्यक है। अतः उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 07 के अधिवक्ता ने प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण मे विलम्ब करना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय में भी लम्बी तारीखें लेने का प्रयास करता है और मिथ्या कथनों के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नहीं है। न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 29.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner